



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 श्रावण 1942 (श10)
(सं0 पटना 497) पटना, मंगलवार, 18 अगस्त 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

18 अगस्त 2020

एस०ओ० 156, दिनांक 18 अगस्त 2020—बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 110 दिनांक 6 मई, 2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 267 दिनांक 6 मई, 2020, द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के पहले अनुच्छेद में-

- (i) "जो उक्त नियमावली के नियम 54" शब्दों, के पहले "किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई तथा" शब्द को अतःस्थापित किया जाएगा;
- (ii) "एक सौ करोड़ रुपये" शब्दों के लिए "पाँच सौ करोड़ रुपये" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[[सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-6)1423]]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

18 अगस्त 2020

एस० ओ० 156, दिनांक 18 अगस्त 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-6)1423)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 18th August 2020

S.O. 156, Dated 18th August 2020— In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 110 dated the 6th May, 2020, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 267 dated the 6th May, 2020, namely:—

In the said notification, in the first paragraph,

- (i) before the words “those referred to in sub-rules”, the words “a Special Economic Zone unit and” shall be inserted;
- (ii) for the words “one hundred crore rupees”, the words “five hundred crore rupees” shall be substituted.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-6) 1423)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 497-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>